

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.08.2018 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण।

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे
विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100
मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अग्रिम मृदा कार्य प्रथम चरण				58978.45
2	वृक्षारोपण कार्य द्वितीय चरण				38964.00
3	अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष तृतीय चरण				4664.00
4	अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष चर्तुत चरण				2000.00
5	अनुरक्षण कार्य तृतीय वर्ष पंचम चरण	-	-	-	2000.00
6	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ वर्ष छटा चरण	-	-	-	2000.00
7	अनुरक्षण कार्य पंचम वर्ष सतवाँ चरण	-	-	-	2000.00
8	अनुरक्षण कार्य षष्ठम वर्ष आठवाँ चरण	-	-	-	2000.00
9	अनुरक्षण कार्य सप्तम वर्ष नौवा चरण	-	-	-	2000.00
10	अनुरक्षण कार्य अष्टम वर्ष दसवाँ चरण	-	-	-	2000.00
11	अनुरक्षण कार्य नवम वर्ष ग्यारहवाँ चरण	-	-	-	2000.00
12	अनुरक्षण कार्य दसम वर्ष बारहवाँ चरण	-	-	-	2000.00
	कुल योग				120606.45
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				6030.32
	कुल योग-				126636.77

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इंडियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० १, चैनेज ०.७६५ के बायी ओर ग्राम-शेखपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के अन्तर्गत कुल ०.०४९७४८ हे० के सापेक्ष १०० वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अग्रिम मृदा कार्य का व्यय प्राक्कलन।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-१७३३/१५-१ (अन० दर) दिनांक- २३.०६.२०१६ द्वारा निर्धारित दरों के अर्न्तगत

योजना - क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य।

प्रथम चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- ०.१ हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर -६२५ गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - १००

मानव दिवस दर - १७५.००

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
१	२	३	४	५	६
१	क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन	हे० में	०.१	४८.९८	४.९०
२	क्षेत्र की सफाई	हे० में	०.१	३५८.३५	३५.८४
३	गड्डों की निशानदेही	सं० में	१००	०.३१	३१.००
४	गड्डों निर्माण कार्य (०.६०x०.६०x०.६०)	सं० में	१००	१७.५०	१७५०.००
५	माउण्ड का निर्माण	सं० में	१००	४३.७४	४३७४.००
६	आर०सी०सी० खम्बों का मूल्य	-	९०	४०४.००	३६३६०.००
७	तार का मूल्य (०५ लड़ में)	मैट्रिक टन	०.१७	८२८९२.००	१४०९१.६४
९	अन्य व्यय				२३३१.००
	योग				५८९७८.३७
	५ प्रतिशत अतिरिक्त				२९४८.९२
	कुल योग				६१९२७.२९

B. M. Rosh
०७-०५-१८

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 है० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के वृक्षारोपण कार्य का व्यय प्राक्कलन।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

द्वितीय चरण

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण कार्य।

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर -625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्डा भरान	सं० में	100	1.04	104.00
2	माउण्डों में मृदा सुधारक का प्रयोग	सं० में	100	9.92	992.00
3	पौधों का मूल्य 3 प्रतिशत अधिक	सं० में	103	70.00	7210.00
4	पौधों का ढुलान	सं० में	100	17.50	1750.00
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	सं० में	100	5.94	594.00
6	आर०सी०सी० खम्बों की ग्राउटिंग	-	100	196.00	19600.00
7	खम्बों का स्थानीय ढुलान	-	100	3.28	328.00
8	तार की खिचाई	-	2000	0.85	1700.00
9	पौधों की सिचाई 9 बार ट्रैक्टर द्वारा	9 बार	900	2.88	2592.00
10	निराई गुड़ाई 2 बार	2 बार	200	1.12	224.00
12	बोर्ड	-	1	3500.00	3500.00
13	ट्रैक्टर टैंकर मरम्मत	-	1	LS	370.00
					38964.00
					1948.20
	अन्य व्यय				
	कुल योग				40912.20

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

07-04-18

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

07-04-18

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अनुरक्षण प्रथम वर्ष।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अर्न्तगत

तृतीय चरण

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण का अनुरक्षण प्रथम वर्ष।

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर -625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यो का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पुराने बने माउण्डों एवं गड्डों पर 10 प्रतिशत वीटिंग अप कार्य	प्राति पौध	10	4.87	48.70
2	पौधों का मूल्य		10	70.00	700.00
3	स्थानीय ढुलान		10	5.91	59.10
4	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य बार		200	1.12	224.00
5	सिचाई कार्य 12 बार		1200	2.89	3468.00
6	रासायनिक खाद 01 बार	हे० में	0.1	600.00	60.00
	अन्य व्यय				105.00
	योग				4664.80
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				233.20
	कुल योग				4898.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनैज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वषर से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अर्न्तगत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय

चर्चुत चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

प्राप्ति हैकटेयर -625 गड्डे

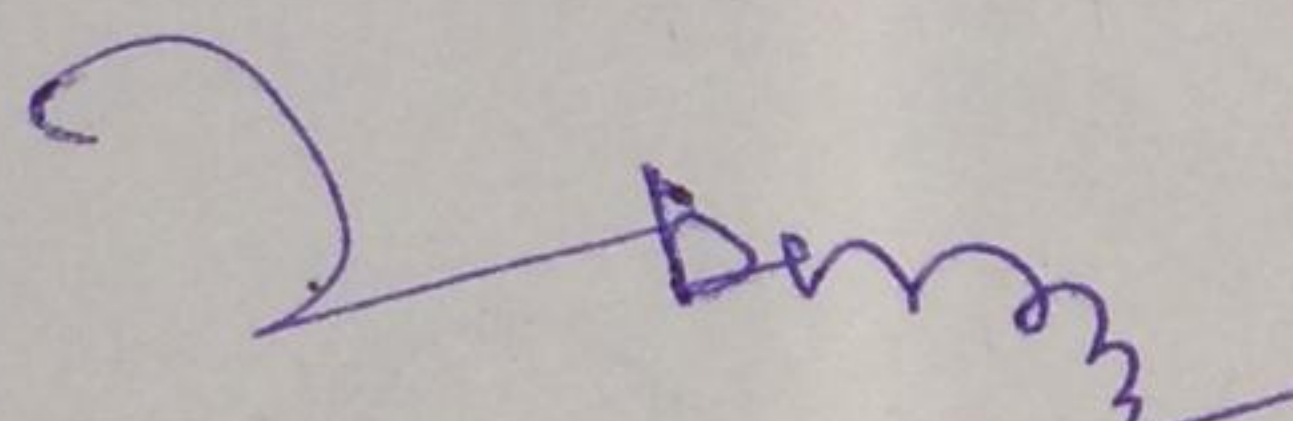
माउण्डों की सं० - 100

रेज का नाम - बदायूँ

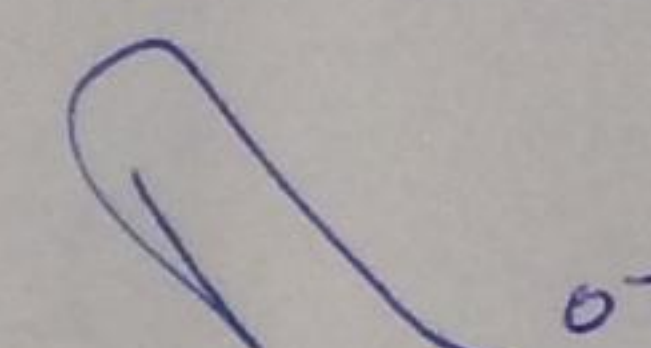
विकासखण्ड -

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00


07-04-18

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ


07-04-18
(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 है० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय

पंचवॉ चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

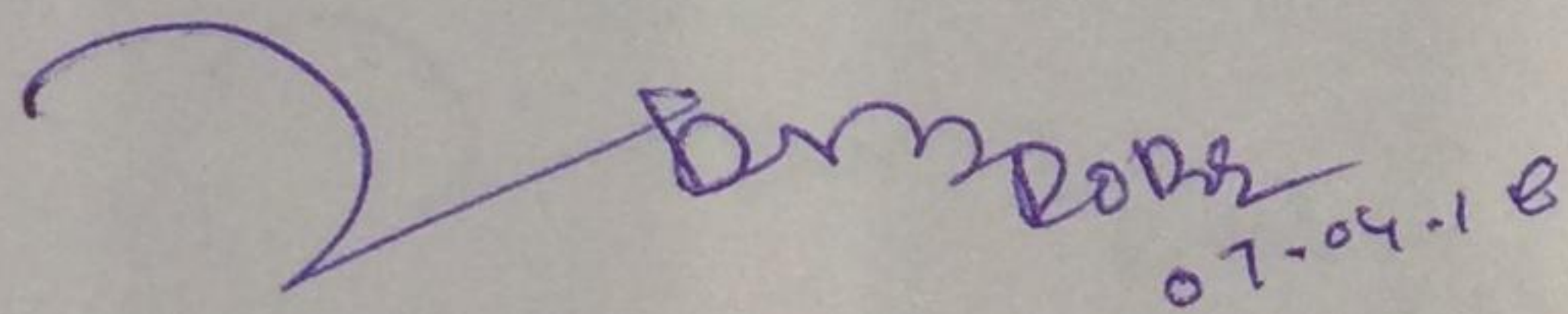
क्षेत्रफल- 0.1 है०

रेज का नाम - बदायूँ

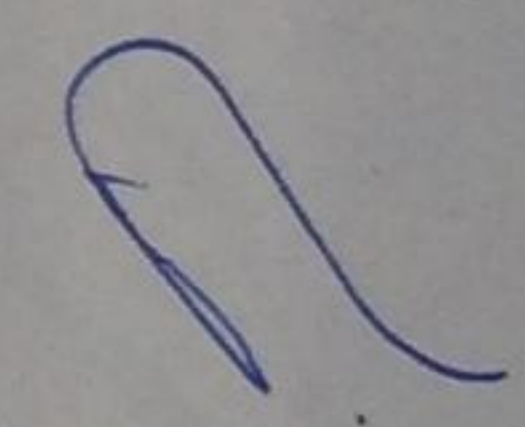
प्राति हैकटेयर -625 गड्डे
विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100
मानव दिवस दर - 175.00

क० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00


07-04-18

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ


07-04-18
(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वष से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण चर्चुत

छटा चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बायीं ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का द्वितीय वषर से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूर्क वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम

सांतवों चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 है० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वषर से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण छटा

आठवाँ चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वष से दसम वर्ष तक अनुसक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुसक्षण सातवों

नौवों चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

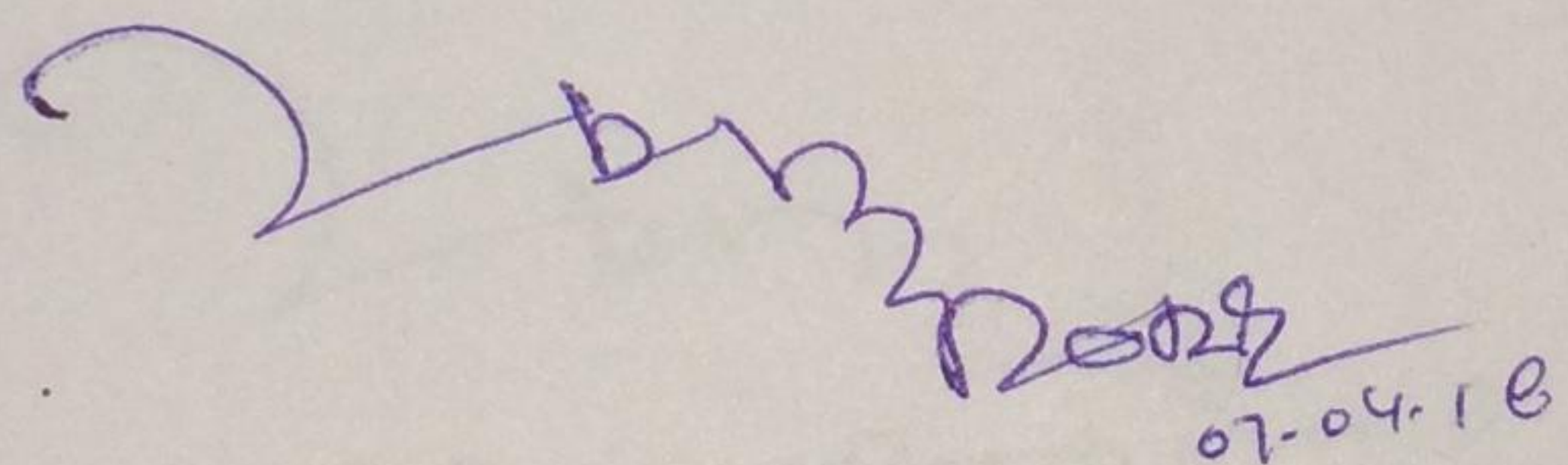
प्राति हैकटेयर -625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00


07-04-18

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

07-04-18
(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 है० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वष से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण आठवाँ

दसवाँ चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज: बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वषर से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण नौवा

ग्यारवों चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

रेज का नाम - बदायूँ

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

विकासखण्ड -

माउण्डों की सं० - 100

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी

बदायूँ रेज; बदायूँ

(रत्नेश श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग; बदायूँ

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लि० द्वारा बदायूँ - कादरचौक मार्ग के किमी० 1, चैनेज 0.765 के बांयी ओर ग्राम-शेखूपुर, तहसील व जिला-बदायूँ पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.049748 हे० के सापेक्ष 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का द्वितीय वष्र से दसम वर्ष तक अनुरक्षण कार्य।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सा० वा०, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र सं०- जी-1733/15-1 (अन० दर) दिनांक- 23.06.2016 द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत

योजना - क्षतिपूरक वृक्षारोपण अनुरक्षण दसवाँ

बारहवाँ चरण

क्षेत्र का नाम - बदायूँ-कादरचौक रोड।

क्षेत्रफल- 0.1 हे०

प्राति हैकटेयर - 625 गड्डे

माउण्डों की सं० - 100

रेज का नाम - बदायूँ

विकासखण्ड -

मानव दिवस दर - 175.00

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	यूनिट	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 1 बार	1 बार	100	1.12	112.00
2	सिचाई कार्य 6 बार	6 बार	600	2.88	1728.00
3	अन्य				160.00
4	योग-				2000.00
	5 प्रतिशत अतिरिक्त				100.00
	कुल योग-				2100.00

[Signature]
07-04-18

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बदायूँ रेज; बदायूँ

[Signature]

07-04-18

(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ